

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹ 17072.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,70,72,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी योजनांतर्गत ₹ 78.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹78,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजनांतर्गत ₹ 957.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,57,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।